समक्ष एम. एम. कुमार और रितु बाहरी, जे जे।

अशोक कुमार खन्ना- ***याचिकाकर्ता***

बनाम

भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य - ***प्रतिवादी***

सीडब्ल्यूपी संख्या 17179/सीएटी 2010

23 सितंबर 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226–पी एंड टी मैनुअल वॉल्यूम III- आरआई 174(10)- एक वरिष्ठ उपमंडल अभियंता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी-एसीआर दर्ज करने की प्रक्रिया को आधार बनाकर चुनौती। जैसा कि अनुदेशों में खुलासा नहीं किया गया है - क्या ऐसे निर्देश वैधानिक रूप में हैं - आयोजित, नहीं - एसीआर दर्ज करने के लिए अधिकारियों द्वारा केवल आंतरिक उपभोग के लिए दिशानिर्देश। - ऐसे दिशानिर्देशों / निर्देशों को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है और कानून की अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है - ट्रिब्यूनल से पहले ओए विचारणीय नहीं माना गया - रिपोर्टिंग अधिकारी या समीक्षा अधिकारी के खिलाफ दुर्भावना का कोई विशेष आरोप नहीं है और न ही पर्याप्त साक्ष्य द्वारा समर्थित - याचिका खारिज कर दी गई।

माना गया कि जिन निर्देशों पर भरोसा किया गया है, उनमें वैधानिक सार नहीं है और इस प्रकार, ऐसे निर्देश रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले दिशानिर्देश मात्र हैं। ये निर्देश गैर-न्यायसंगत हैं और इन्हें अदालत में मुकदमा दायर करके या रिट मांगकर लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, ओए ट्रिब्यूनल के समक्ष विचारणीय नहीं था।

(पैरा 10)

इसके अलावा, यह माना गया कि दुर्भावना के आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट और अनिर्दिष्ट हैं। ऐसे आरोपों पर दुर्भावना और पूर्वाग्रह का निष्कर्ष दर्ज करने

के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती। उस आधार पर प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने से पहले दुर्भावना और पूर्वाग्रह के पर्याप्त सबूत होने चाहिए। जब याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल के समक्ष फिर से ओए दायर किया तो न तो कोई विशिष्ट आरोप था और न ही उत्तरदाताओं संख्या 6 और 7 को ट्रिब्यूनल के समक्ष पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। पहली बार उन्हें इस न्यायालय के समक्ष पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है, जो स्वयं दर्शाता है कि आरोप बाद में मनगढ़ंत लगाए गए हैं।

(पैरा 11)

याचिकाकर्ता की ओर से

अधिवक्ता अनुज राउरा

माननीय न्यायाधीश एमएम कुमार, जे.

(1) याचिकाकर्ता केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ (संक्षिप्तता के लिए, 'न्यायाधिकरण') के समक्ष असफल होने के बाद, इसके आदेश दिनांक 3.9.2009 (पी-9) को चुनौती दी है, जिसमें प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के उनके दावे को खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता की वर्ष 2005-06 से संबंधित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। याचिकाकर्ता भारत संचार निगम लिमिटेड-प्रतिवादी नंबर 1 के साथ काम कर रहा है और प्रासंगिक अवधि में वह एक वरिष्ठ उप मंडल अभियंता के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए चुनौती का आधार यह है कि प्रतिकूल टिप्पणियों को दर्ज करने के संबंध में निर्देशों का उल्लंघन किया गया है और प्रतिकूल टिप्पणियां पूरी तरह से अस्पष्ट और अप्रमाणित हैं। प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के खिलाफ पूर्वाग्रह और दुर्भावना का आरोप लगाते हुए प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती देने का एक कमजोर प्रयास किया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ उनके प्रतिनिधित्व/अपील को खारिज करते हुए दिनांक 2.4.2008 (पी-5ए) के आदेश को भी चुनौती दी है।

(2) ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिकाकर्ता का तर्क था कि उसके अभ्यावेदन को एक अस्पष्ट और गूढ़ आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। हालाँकि, उपरोक्त तर्क को ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रतिनिधित्व/अपील वैधानिक नहीं थी और इसलिए, कोई विस्तृत और स्पष्ट आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी भी मामले में, ट्रिब्यूनल ने पाया कि आदेश दिनांक 2.4.2008 (पी-5ए) में कारणों का खुलासा किया गया है और इसे गूढ़ नहीं माना जा सकता है।

(3) इससे पहले कि हम विद्वान वकील द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों से निपटें, पहले याचिकाकर्ता को वर्ष 2005-06 के संबंध में दिनांक 8.8.2006 (पी-1) के पत्र के माध्यम से बताई गई प्रतिकूल टिप्पणियों को पढ़ना उचित होगा: -

"**आइटम प्रतिकूल टिप्पणियाँ भाग III:** **(ए)** प्रकृति और काम की गुणवत्ता	औसत प्रदर्शन से नीचे
आइटम नंबर 2. आउटपुट की गुणवत्ता	औसत प्रदर्शन से नीचे कार्य और कार्यक्रम में उद्देश्य
मद क्रमांक 3 का ज्ञान कार्य क्षेत्र	
(ए) तकनीकी/वित्तीय	औसत से नीचे।
(बी) प्रशासनिक	औसत से नीचे।

भाग III (बी) विशेषताएँ:

आइटम नंबर 1 काम का नजरिया	औसत से कम समर्पण और प्रेरणा और पहल करने की इच्छा

मद क्रमांक 2 निर्णय लेने की क्षमता	औसत से कम
आइटम नंबर 4 प्रेरित करने और प्रेरित करने की क्षमता	कर्मचारियों को प्रेरित करने और उनसे इच्छुक समर्थन प्राप्त करने की औसत क्षमता से कम।
आइटम नंबर 5: संचार कौशल (लिखित और मौखिक) आइटम	औसत से नीचे, तर्क विषय के लिए विशिष्ट नहीं हैं।
नंबर 6: पारस्परिक संबंध और टीम वर्क	सभी स्तरों पर औसत से नीचे संबंध
मद क्रमांक 7 : जनता से संबंध	औसत से कम
मद संख्या 8: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/समाज के कमजोर वर्गों के प्रति दृष्टिकोण	वी. थोड़ी समझ
आइटम नंबर 9: अपने कार्य क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी विकास से अवगत रहने में रुचि	औसत से कम
भाग (IV) सामान्य	
आइटम नंबर 3, सामान्य मूल्यांकन।	औसत से कम
आइटम नंबर 4. ग्रेडिंग	

(4) उपरोक्त प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने अपील/अभ्यावेदन (पी-2) दायर किया। अपील में मुख्य आधार यह है कि प्रतिकूल टिप्पणियाँ अनुचित, निराधार और मनमौजी थीं। यह भी आरोप लगाया गया कि वे टिप्पणियाँ पक्षपातपूर्ण और प्रतिशोध का परिणाम थीं, लेकिन रिपोर्टिंग या अपीलीय प्राधिकारी के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया था और न ही आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई विवरण प्रस्तुत किया गया था। प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती देने का एक अन्य आधार पी एंड टी मैनुअल वॉल्यूम-III के नियम 174(10) का उल्लंघन था।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री अनुज राउरा ने तर्क दिया है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जैसा कि स्वामी की गोपनीय रिपोर्ट द्वारा संकलित निर्देशों में बताया गया है। इसमें एसीआर लिखते समय रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले आवश्यक सिद्धांतों का प्रावधान करते हुए पैरा 16, 17.31 और 39 को पढ़ा गया है। मैंने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के पक्षपातपूर्ण और *दुर्भावनापूर्ण* इरादे का परिणाम थीं।

(6) सबसे पहले उन निर्देशों से निपटना जरूरी होगा जिन पर श्री रउरा ने भरोसा जताया है। पैरा 16 में रिपोर्टिंग अधिकारी को पालन करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं ।

(7) 16. रिपोर्ट लिखने में रिपोर्टिंग अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत : - वार्षिक रिपोर्ट लिखने के लिए रिपोर्टिंग अधिकारियों द्वारा जिन सामान्य सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, वे नीचे शामिल हैं:

(1) "संदिग्ध चरित्र', "उसके अवैध परितोषण लेने के बारे में प्राप्त शिकायतें" जैसी टिप्पणियाँ स्वीकार्य नहीं हैं। प्रविष्टियाँ स्थापित तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए न कि केवल संदेह पर।

(2) पूर्ण विचार-विमर्श के बिना दर्ज की गई पूर्वाग्रहपूर्ण रिपोर्टों से किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही, किसी को भी अत्यधिक चापलूसी वाली रिपोर्टों से पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। ऐसी संभावनाओं की जांच करने की दृष्टि से निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:-

(a) सेवाओं के मेमो से हमेशा परामर्श लिया जाना चाहिए हालांकि वार्षिक रिपोर्ट लिखते समय रिपोर्ट आवश्यक रूप से पूरे वर्ष के दौरान कर्मचारी के प्रदर्शन पर आधारित होनी चाहिए ;

(b) जहां लगातार अच्छे रिकॉर्ड वाले किसी अधिकारी के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की जाती है, तो उसके संबंध में कुछ विवरण अवश्य दिए जाने चाहिए;

(c) रिपोर्ट में चरित्र, सत्यनिष्ठा, उद्योग आदि जैसे मुख्य बिंदुओं पर स्पष्ट राय देनी चाहिए;

(d) मामलों में प्रतिकूल टिप्पणियाँ दर्ज करने में रिपोर्टिंग अधिकारियों की ओर से कोई झिझक नहीं होनी चाहिए;

(e) रिपोर्टिंग अधिकारियों को एक ही दिन में सभी रिपोर्ट लिखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

(7) पैरा 31 और 39 का उल्लेख करना भी उचित होगा। जो रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा स्व-मूल्यांकन और उस पर एक रिपोर्ट के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है: -

"31. रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा स्व-मूल्यांकन और उस पर रिपोर्ट के लिए दिशानिर्देश:

1 से 3. xxx xxx xxx

(4) यदि रिपोर्टिंग अधिकारी कॉलम के विरुद्ध कारणों सहित रिकॉर्ड करता है, बशर्ते कि स्व-मूल्यांकन में आत्म-प्रशंसा बहुत अधिक हो, तो ऐसी असहमतियों को प्रतिकूल टिप्पणी नहीं माना जाएगा। इसलिए, स्व-मूल्यांकन से असहमति का कारण दर्ज करते समय, रिपोर्टिंग अधिकारी यह स्पष्ट कर

सकता है, आत्म-मूल्यांकन पर उनकी टिप्पणियों को प्रतिकूल टिप्पणियों के रूप में लिया जाना चाहिए या नहीं । यदि रिपोर्टिंग अधिकारी स्व-मूल्यांकन से असहमत है और ऐसी असहमति को प्रतिकूल मानने की सूचना देता है, तो वह तथ्यात्मक विवरण के साथ इसका समर्थन कर सकता है और उन्हें रिकॉर्ड पर रख सकता है। कुछ भी नहीं, रिपोर्टिंग अधिकारी को आत्म-मूल्यांकन में अपर्याप्तताओं या अतिशयोक्ति को इंगित करने और अधिकारी से यह पूछने से रोकता है कि क्या वह इस पर पुनर्विचार करना चाहेगा। इस तरह का दृष्टिकोण बड़ी संख्या में मामलों में असहमति की संभावना को खारिज कर सकता है।

(5) Xxx xxx xxx

(6) संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियों को हमेशा की तरह रिपोर्ट किए गए अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। रिपोर्टिंग अधिकारी की टिप्पणियाँ आवश्यक रूप से अवधि के दौरान अधिकारी के वास्तविक प्रदर्शन के संदर्भ में होनी चाहिए और वह भी स्थापित तथ्यों और सेवा ज्ञापन आदि में निहित अन्य प्रासंगिक सामग्रियों के आधार पर होनी चाहिए।

"39. वार्षिक रिपोर्ट लिखने के आधार के रूप में सेवा के ज्ञापन का रखरखाव। - रिपोर्टिंग अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के काम और आचरण का सही समग्र मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, रिपोर्टिंग अधिकारियों को सेवाओं के संबंध में ज्ञापन बनाए रखना आवश्यक है। उनके अधीन कार्यरत प्रत्येक अधिकारी। रिपोर्टिंग अधिकारी के ध्यान में आने वाले अच्छे और बुरे काम के सभी उदाहरणों को तुरंत सेवा ज्ञापन में नोट किया जाना चाहिए, दौरे, निरीक्षण, साक्षात्कार आदि के समय अधिकारी द्वारा बनाई गई छाप को भी उस ज्ञापन में शामिल किया जाना चाहिए। केवल प्रतिकूल प्रकृति के उदाहरणों को दर्ज करके

इस ज्ञापन को एक काले किताब में तब्दील नहीं किया जाना चाहिए । अच्छे कार्य के उदाहरणों को भी उदारतापूर्वक दर्ज किया जाना चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट लिखते समय सेवा ज्ञापन से अवश्य परामर्श लिया जाना चाहिए । यदि रिपोर्टिंग अधिकारी रिपोर्ट किए जाने वाले अधिकारी का निकटतम वरिष्ठ नहीं है, तो तत्काल वरिष्ठ को सेवाओं का एक ज्ञापन भी रखना चाहिए, जिसे रिपोर्ट लिखने के समय रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा परामर्श लिया जाना चाहिए। किसी अधिकारी के संबंध में सेवाओं का ज्ञापन उसकी सेवा का पूर्ण और निरंतर रिकॉर्ड होना चाहिए और तदनुसार वार्षिक रिपोर्ट लिखे जाने के बाद इसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। स्थानांतरण, पदोन्नति या विशेष रिपोर्ट लिखने के अवसरों पर सेवाओं के ज्ञापन में प्रविष्टियों से भी परामर्श लिया जा सकता है। वार्षिक रिपोर्ट लिखने के लिए, मेमो में केवल उन्हीं प्रविष्टियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो रिपोर्ट के वर्ष से संबंधित हैं। सेवा ज्ञापन में प्रविष्टियों को संप्रेषित करना आवश्यक नहीं है। चूंकि सेवा का ज्ञापन वार्षिक रिपोर्ट लिखने का एकमात्र आधार है, रिपोर्टिंग अधिकारी को प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, यदि कोई हो, अग्रेषित पत्रों में एक विशिष्ट उल्लेख करना चाहिए कि सेवाओं का ज्ञापन बनाए रखा गया है और परामर्श किया गया है . यह जांचने की दृष्टि से कि इन ज्ञापनों का उचित और नियमित रूप से रखरखाव किया जा रहा है, प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी उन्हें बुला सकते हैं और उनकी जांच कर सकते हैं। इस संबंध में रिपोर्टिंग अधिकारियों की ओर से लापरवाही पर ध्यान दिया जाना चाहिए।"

(8) पैरा 16 के अवलोकन से पता चलेगा कि किसी भी कर्मचारी को पूर्ण विचार किए बिना पूर्वाग्रहपूर्ण रिपोर्ट से प्रतिकूल रूप से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। साथ ही किसी कर्मचारी को अत्यधिक चापलूसी वाली रिपोर्टों से पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। रिपोर्टिंग अधिकारी को एसीआर लिखते समय सेवा ज्ञापन से परामर्श करना आवश्यक है और रिपोर्ट पूरे वर्ष के दौरान उसके प्रदर्शन पर आधारित होनी चाहिए। यदि प्रतिकूल टिप्पणियाँ

दर्ज की गई हैं जो उसके पिछले 'अच्छे' या 'बहुत अच्छे' रिकॉर्ड से असंगत हैं तो रिपोर्टिंग अधिकारी को विवरण देना भी आवश्यक है। इसी तरह, पैरा 31 और 39 के अवलोकन से पता चलेगा कि रिपोर्टिंग अधिकारी का अवलोकन आवश्यक रूप से प्रश्न की अवधि के दौरान अधिकारी के वास्तविक प्रदर्शन के संदर्भ में होना चाहिए और वह भी स्थापित तथ्यों और ज्ञापन में निहित अन्य प्रासंगिक सामग्री के आधार पर होना चाहिए। सेवा का, जिसे अनुच्छेद 39 के अनुसार बनाए रखा जाना आवश्यक है।

(9) प्रश्न यह है कि क्या उपरोक्त निर्देश वैधानिक हैं या केवल विभाग के आंतरिक उपयोग के लिए दिशानिर्देश हैं। प्रश्न अब *इंटीग्रा का नहीं है। इसी तरह के निर्देशों की न्यायसंगतता से संबंधित प्रश्न* **पंजाब राज्य** *बनाम* **जनक राज जैन के** [1]मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए आया था **।** फैसले के पैरा 10 और 11 में, डिवीजन बेंच के आधिपत्य ने माना कि इस तरह के निर्देश वैधानिक प्रकृति के नहीं हैं और वे वास्तव में, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अधिकारियों द्वारा आंतरिक उपभोग के लिए दिशानिर्देश हैं। ऐसे निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के मामले में यह समीक्षा प्राधिकारी का काम है कि वह मामले की जांच करे और संतुष्ट होने पर अधिकारी को आवश्यक राहत दे। यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि इस तरह के दिशानिर्देशों/निर्देशों को न्यायालय द्वारा न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है और लागू नहीं किया जा सकता है। डिवीजन बेंच के उपरोक्त निर्णय का पालन **एआर दर्शी** बनाम **राज्य के मामले में एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया है। पंजाब** [2]**.** निर्णय के पैरा 6 में, निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियाँ की गई हैं, जिन्हें विस्तार से उद्धृत किया जाना चाहिए: -

'6. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और उनकी दलीलों पर गौर

[1]आईएलआर 1987(1)पंजाब और हरियाणा 412।

[2]1988 (7) एसएलआर 275।

करने के बाद, मेरा मानना है कि याचिका पूरी तरह से निराधार है। उपरोक्त प्राधिकारियों में निर्धारित कानून के अनुसार, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की रिकॉर्डिंग, प्रतिकूल टिप्पणियों का संचार, यदि कोई हो, और दाखिल करना उनके निष्कासन के लिए अभ्यावेदन और साथ ही उच्च अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन पर विचार, ऐसे मामले हैं जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देशों द्वारा विनियमित होते हैं। पूरी प्रक्रिया 11011- वैधानिक और प्रशासनिक प्रकृति की है, जिसका उल्लंघन न्यायसंगत नहीं है। प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन, जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की रिकॉर्डिंग और प्रतिकूल टिप्पणियों के निष्कासन आदि के समय अधिकारियों द्वारा आंतरिक उपभोग के लिए दिशानिर्देशों की प्रकृति में है, संबंधित अधिकारी को चुनौती देने का अधिकार नहीं देता है कानून की अदालत में भी ऐसा ही है। कार्यकारी निर्देशों में पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं और समीक्षा प्राधिकारी पीड़ित कर्मचारी के प्रतिनिधित्व पर विचार करके, उसे आवश्यक राहत दे सकता है यदि वह संतुष्ट है कि प्रतिकूल टिप्पणियां या तो आधारित नहीं हैं कुछ मौजूदा और प्रासंगिक डेटा पर या यह व्यक्तिगत दुर्भावना से या योग्यता के अलावा अन्य विचारों पर कार्यान्वित किया गया था। यह न्यायालय रिपोर्टिंग या समीक्षा प्राधिकारी की राय के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

(10) जब वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि श्री राउरा द्वारा जिन निर्देशों पर भरोसा किया गया है, उनमें वैधानिक सार नहीं है और, इस प्रकार, ऐसे निर्देश हैं रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले दिशानिर्देश मात्र हैं। ये निर्देश गैर-न्यायसंगत हैं और इन्हें अदालत में मुकदमा

दायर करके या रिट मांगकर लागू नहीं किया जा सकता है। हमारे बार-बार पूछने पर श्री अनुज राउरा इसके विपरीत कोई राय नहीं बता सके। इसलिए, हमारा विचार है कि प्रथम दृष्टया ओए ट्रिब्यूनल के समक्ष विचारणीय नहीं था।

दुर्भावना से संबंधित दूसरा तर्क भी बिना किसी योग्यता के है। प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ याचिकाकर्ता ने 7 सितंबर, 2006 को अपील दायर की (पी-2)। अपील के पैराग्राफ 2 में याचिकाकर्ता स्वयं कहता है कि उसने किसी के पैर पर अपना पैर रख दिया होगा और इस प्रकार अधिकारियों के क्रोध को आमंत्रित किया होगा। वह आगे कहते हैं कि यह केवल एक अनुमान था और कुछ भी विशेष नहीं कहा जा सकता है। हमने विशेष रूप से श्री रउरा से रिपोर्टिंग अधिकारी या समीक्षा अधिकारी के खिलाफ अपील में *दुर्भावना के विशिष्ट आरोप दिखाने के लिए कहा।* स्वाभाविक रूप से उन्हें हमारे द्वारा देखे गए आरोप को छोड़कर ऐसे किसी भी आरोप को उजागर करने में कठिनाई हुई। वे आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट और अनिर्दिष्ट हैं। ऐसे आरोपों पर दुर्भावना और पूर्वाग्रह का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती। उस आधार पर प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने से पहले दुर्भावना और पूर्वाग्रह के पर्याप्त सबूत होने चाहिए। जब याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल के समक्ष फिर से ओए दायर किया तो न तो कोई विशेष आरोप था और न ही प्रतिवादी संख्या 6 और 7 को ट्रिब्यूनल के समक्ष पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था, पहली बार उन्हें इस न्यायालय के समक्ष पार्टी के रूप में शामिल किया गया है, जो स्वयं दर्शाता है कि आरोप बाद में गढ़ा गया है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब तक *दुर्भावना के आरोप* विशिष्ट नहीं होते हैं और पर्याप्त सबूतों द्वारा समर्थित नहीं होते हैं, तब तक वे इस निष्कर्ष को दर्ज करने का आधार नहीं बनेंगे कि प्राधिकारी की कार्रवाई किसी दुर्भावना या पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। उस संबंध में, **पंजाब राज्य** *बनाम* **वीके खन्ना के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है** [3]**,** जिसमें यह समझाया गया है कि अभिव्यक्ति *'दुर्भावनापूर्ण'*

[3](2001) 2 एससीसी 330।

का कानूनी वाक्यांशविज्ञान में एक निश्चित महत्व है और यह संभवतः काल्पनिक कल्पना या यहां तक कि आशंकाओं से भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, लेकिन पूर्वाग्रह और कार्यों के मौजूदा निश्चित सबूत मौजूद होने चाहिए, जिन्हें अन्यथा *प्रामाणिक* कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, अन्यथा *प्रामाणिक नहीं * हालांकि, अपने आप में दुर्भावनापूर्ण* नहीं माना जाएगा जब तक कि इसका अर्थ कुछ अन्य कारकों से भी है जो कार्य करने वाले के मन में बुरे उद्देश्य या इरादे को दर्शाते हैं। पैरा 8, 9 और 25 में, उनके आधिपत्य ने निम्नानुसार देखा है : -

इसलिए, परीक्षण यह है कि क्या पूर्वाग्रह की मात्र आशंका है या पूर्वाग्रह का वास्तविक खतरा है , और इसी स्कोर पर आसपास की परिस्थितियों का मिलान किया जाना चाहिए और उसके आधार पर आवश्यक निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। हालाँकि, इस घटना में, निष्कर्ष अन्यथा यह है कि पूर्वाग्रह का वास्तविक खतरा मौजूद है, प्रशासनिक कार्रवाई को बरकरार नहीं रखा जा सकता है: दूसरी ओर, मेरे आरोप प्रशासनिक कार्रवाई में काल्पनिक आशंका से संबंधित हैं, इस आधार पर उन्हें अस्थिर घोषित करने का सवाल है इसलिए उत्पन्न नहीं होगा।

(9) इसी प्रकार इस न्यायालय ने इसे रतन लाल शर्मा की सहजता में पक्षपात की उचित संभावना करार दिया है [रतन लाल शन्ना *बनाम* प्रबंध समिति डॉ. हरि राम (सह-शिक्षा) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अन्य (1993)4 एससीसी 10) जिसमें यह न्यायालय यह देखकर प्रसन्नता हुई कि परीक्षण की वास्तविक संभावना है पूर्वाग्रह, भले ही ऐसा पूर्वाग्रह, वास्तव में, प्रत्यक्ष कारण था। रतन लाल शर्मा की सहजता *(सुप्रा) में* पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना को इस आशय का अर्थ दिया गया है कि किसी प्रशासनिक कार्रवाई को अमान्य करने के लिए पूर्वाग्रह की कम से कम पर्याप्त संभावना होनी चाहिए। इस प्रकार, रतन लाल शन्ना की *सहजता (सुप्रा) ने , वास्तव में, ऐसी कोई राय व्यक्त नहीं की है जो गिरजा शंकर की सहजता (सुप्रा)* के विपरीत हो और अंतिम उल्लेखित

सहजता में निर्णय इस प्रकार रतन लाल के मामले में पहले के फैसले का अनुसरण करता है, भले ही विशेष रूप से नहीं उसमें देखा गया"

Xxx xxx xxx

(25) पूर्वाग्रह ने स्पष्ट रूप से निष्पक्षता और तर्कसंगतता को नकार दिया है, जिसके कारण जल्दबाजी में दो अधिसूचनाएं जारी करने में मनमानी *और दुर्भावनापूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन श्री वी.के. खन्ना की ओर से किसी भी* दुर्भावनापूर्ण कदम या कार्रवाई का कोई विवरण रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। -हालांकि यह सच है कि महाधिवक्ता की राय के लिए तैयार की गई नोट्स में श्री वीके खन्ना की ओर से *दुर्भावनापूर्ण कदम के बारे में एक निश्चित टिप्पणी है, फिर भी किसी भी विवरण का एकमात्र अभाव है जिसके बिना दुर्भावना* का मामला कायम नहीं रखा जा सकता है। अभिव्यक्ति *"दुर्भावनापूर्ण* " का कानूनी वाक्यांशविज्ञान में एक निश्चित महत्व है और यह संभवतः काल्पनिक कल्पना या यहां तक कि आशंकाओं से उत्पन्न नहीं हो सकता है, लेकिन पूर्वाग्रह और कार्यों के मौजूदा निश्चित सबूत होने चाहिए जिन्हें अन्यथा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है- कार्य नहीं अन्यथा *, प्रामाणिकता अपने आप में दुर्भावनापूर्ण* नहीं होगी, जब तक कि यह पुरुषों के साथ कुछ अन्य कारकों के साथ न हो जो कार्य के कर्ता की ओर से एक बुरे उद्देश्य या इरादे को दर्शाते हों।"

(12) उपरोक्त सिद्धांत के आलोक में, श्री राउरा द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क भी कायम नहीं रखा जा सकता है और वह खारिज होने योग्य है।

(13) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, रिट याचिका में कोई सार नहीं है और इसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार उसे खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा